निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 106) पटना, बुधवार, 10 फरवरी 2021

सं० 8प/वि–5–19/2020/पं०रा०/758
पंचायती राज विभाग

संकल्प
3 फरवरी 2021

विषय :– **ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन तथा नामकरण के संबंध में।**

राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ अंश को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गयी है।

2. ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं उसकी वैधिकता/औचित्य के बिन्दु पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के उप नियम (1) एवं (2) में प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज विभाग के वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 में ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों को आंशिक रूप से नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई निम्नरूपेण की जाएगी :–

(1) जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रह जाएगी और उनका मुख्यालय ग्राम ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही बचा होगा, तो अवशिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र को पूर्व नाम के साथ ग्राम पंचायत के रूप में बने रहने दिया जाएगा। अगर नगर निकाय क्षेत्र में उक्त ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम भी समाहित हो गया है, तो पुनर्गठित ग्राम पंचायत के लिए मुख्यालय ग्राम का निर्धारण एवं उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र का नामकरण वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

(2) जहाँ नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 से कम रह जाएगी, वहाँ उस क्षेत्र को समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में शामिल कर पूर्व ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत का पुनर्गठन/नामकरण वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

4. पुनर्गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत एवं इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में किसी संभावित परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार विधि विभाग के परामर्श से अलग से निर्देश जारी कर सकेगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
अपर मुख्य सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 106-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in